



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरनी
कोलकाता-700001

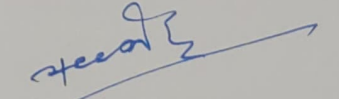
दिनांक : 20-01-2021

कार्यालय ज्ञापन सं 06/2021

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुमीता लाहिड़ी (एल-44) उपाध्यक्ष की सचिव, बोर्ड के मुख्यालय कोलकाता में उपाध्यक्ष के निजी शाखा से सम्बद्ध 30.11.2021 को 60 वर्ष प्राप्त कर लेंगी। टी बोर्ड के उपनियम 1955 के उपनियम 30 (समय-समय पर संशोधित) के संदर्भ में एफआर 56 (क) के साथ पढ़ा जाएगा, वह बोर्ड की सेवा से 30/11/2021 की दोपहर से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।

श्रीमती लाहिड़ी सभी प्रकार की छुट्टी का लाभ उठा सकती हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्ध वेतन अवकाश शामिल हैं, जो वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले नियमों के तहत हकदार हैं। 300 से अधिक दिनों के लिए अर्जित अवकाश, हालांकि, उन्हें एक बार में नहीं दिया जाएगा यदि उन्होंने भारत में खर्च किया है।

यदि वह चाहती है, तो सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश की अवधि के संबंध में वेतन छोड़ने के लिए नकद समतुल्य भुगतान किया जा सकता है (इस शर्त पर कि जमा अर्जित अवकाश एवं अर्ध वेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक ना हो) कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2008 के ओ.एम सं.14028/3/2008- स्था (एल) का संदर्भ ले सकते हैं।



(डॉ. ऋषिकेश राय .)

सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1.	श्रीमती सुमीता लाहिड़ी (एल-44) उपाध्यक्ष की सचिव	
2.	वि.स.एवं मु.ले.अ.	
3.	ले.अ. (वेतन)	
4.	अवकाश शाखा	
5.	प्रभारी, पेंशन व पीएफ शाखा	
6.	सचिवालय शाखा	
7.	आईटी शाखा -	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड के अनुरोध सहित
8.	टी.बी.ओ.ए/टी.बी.इ.ए.	
9.	टी बोर्ड के कर्मचारी सहकारी समिति लि, कोलकाता	
10.	स्थापना शाखा - अतिरिक्त प्रतियों सहित	

सं. फाइल सं. स्था/पीआर/एल-44